



2026: AHC-LKO: 20052

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं0- 1966/2026**

मो0 शहाब

.....आवेदक

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

..... विपक्षी पक्षकार

---

आवेदक के अधिवक्ता : रियाज़ अहमद, हेमंत कुमार पांडे

विपक्षी पक्षकार के : शासकीय अधिवक्ता

अधिवक्ता

---

**न्यायालय सं0-13**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लावनिया**

1. एक प्रश्न पूछे जाने पर, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके पास मामले में संपूर्ण अनुदेश है, इस प्रकार, इस न्यायालय ने जमानत मांगने के प्रार्थना-पत्र को गुण-दोष पर सुनने की कार्यवाही किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा धाराओं 147,148,149,302,120-ख के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन/मामला अपराध सं0 82/2024, पुलिस स्थानक- बाज़ार खाला, जनपद- लखनऊ में जमानत की मांग करते हुए योजित किया गया है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. जमानत के लिए आवेदन पर जोर डालते समय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. यह भी कहा जाता है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों नामतः मो० करीम उर्फ परवेज़, मो० ज़माल हरून उर्फ हरीश और मो० ज़बैर को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 816/2026, 11849/2026 और 1951/2026 में पारित आदेशों दिनांकित 12.03.2026, 13.03.2026 व 18.03.2026 के माध्यम से जमानत पर पहले ही छोड़ा जा चुका है। सह-अभियुक्त/मो० ज़माल हरून उर्फ हरीश के मामले में पारित आदेश दिनांकित 13.03.2026 के प्रासंगिक भाग का वाचन निम्नवत है:-

“4. यह कहा जाता है कि सह-अभियुक्त नामतः मो० करीम उर्फ परवेज़ को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं० 816/2026 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.03.2026 के माध्यम से जमानत पर पहले ही छोड़ा जा चुका है। आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं० 10110/2025 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2025 के प्रासंगिक भाग का वाचन निम्नवत है:-

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रियाज़ अहमद, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंवर बहादुर सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. राज्य और शिकायतकर्ता द्वारा योजित किए गए प्रति-शपथपत्रों को अभिलेख पर लिया जाता है।

3. यह धाराओं 147, 148, 149, 302, 120-ख भा०दं०वि० के अन्तर्गत मामला अपराध सं० 82/2024 में जमानत पर आवेदक का रिहाई मांगने का दूसरा प्रार्थना-पत्र है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र सं० 9431/2024 को आदेश दिनांकित 29.04.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। यह दूसरा प्रार्थना-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त होने के बाद, तथ्य के 7 साक्षियों को परीक्षित किया गया है, जिनमें से 4 प्रतिकूल हो गए और 3 अन्य ने कहा है कि उन्होंने घटना नहीं देखी है।

5. आवेदक 29.05.2024 से लम्बे समय से कारागार में बन्द है और उसकी उम्र 62 वर्ष है।

6. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस दृष्टिकोण का हूँ कि आवेदक जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, यह जमानत-प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक मो० करीम उर्फ परवेज़ को उपर्युक्त मामले में निजी मुचलके और निम्नांकित शर्तों के अधीन संबंधित दण्डाधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि के दो जमानतदारों की प्रस्तुति पर जमानत पर छोड़ा जाए:-”

5. यह पुनः कहा जाता है कि आवेदक 15.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर छोड़े जाने के बाद, आवेदक विधि के अनुक्रम से भाग सकता है या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है और निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष की संभावना अत्यंत धूमिल है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया परंतु वह अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त तर्कों का प्रतिवाद नहीं कर सके।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभिलेख का अवलोकन करते हुए और आरोपों की प्रकृति पर भी विचार करते हुए पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, जिनमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन से संबंधित तर्क भी सम्मिलित है और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि सह- अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर पहले ही छोड़ा जा चुका है साथ ही निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष का मौका और मामले के गुण-दोष पर कोई राय अभिव्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामला होना पाता हूँ।
8. आवेदन- मो० जमाल हरून उर्फ हरीश को उपर्युक्त मामला अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके निजी मुचलके की प्रस्तुति पर जमानत पर अविलंब छोड़ दिया जाए। आवेदक को दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिनमें से एक निम्नांकित दशाओं के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रत्येक समान राशि, का परिवार का सदस्य होगा:-"
6. यह पुनः कहा जाता है कि आवेदक 29.05.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर छोड़े जाने के बाद, आवेदक विधि के अनुक्रम से भाग सकता है या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है और निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष की संभावना अत्यंत धूमिल है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विशेष किया परंतु वह अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त तर्कों का प्रतिवाद नहीं कर सके।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख का अवलोकन करते हुए और आरोपों की प्रकृति पर भी विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क जिनमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन से संबंधित तर्क भी सम्मिलित है और सह-अभियुक्त व्यक्तियों, उपर्युक्त नामित, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर छोड़ा जा चुका है और करावास की अवधि साथ ही निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष के मौके को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय अभिव्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामला होना पाता हूँ।
9. आवेदक- **मो० शहाब** को उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में रुपये 25000/- के उसके निजी मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतियों जिनमें से एक निम्नांकित दशाओं के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रत्येक समान राशि का, परिवार का सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए, जमानत पर छोड़ दिया जाए:-
- आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन को सहयोग करेगा।
  - आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा।
  - आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / न ही डराएगा।
  - आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
  - आवेदक मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि न्यायालय से या किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके या साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ करने से रोक सके।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- vi. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
  - vii. आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
  - viii. आवेदक धारा 313, सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कथन के अभिलेखन के लिए निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से, उपस्थित रहेगा।
10. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में समझे जाने के लिए खुला रहेगा और विधि के अनुसरण में आदेश पारित कर सकेगा।
11. चूंकि यह आदेश आवेदक की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए अवलोकन का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय को इस आदेश में किए गए किसी अवलोकन द्वारा प्रभावित नहीं किया जाएगा।
12. प्रार्थना-पत्र **निस्तारित** किया जाता है।

मार्च 19, 2026

(न्यायमूर्ति श्री सौरभ लावानिया)

अरूण

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।